उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

17-1-18 वादी व वकील वादी उपस्थित नहीं।
वादी व वकील वादी को कई बार
आवाज दिलाई गई। उसके बावजूद वादी
व वकील हाजिर नहीं। अतः दावा वादी
आ० हारुन आ० से० से डिसमिस किया
जाता है। पक्षकारी खेदक शुल्क वापस
दफीलक दावा दें।